झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 1848/2021

मुकेश कुमार शुक्ला उर्फ मुकेश उर्फ पिंकू शुक्ला, उम्र लगभग 48 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय हलधर प्रसाद शुक्ला, निवासी ग्राम शाहरकोल, डाकघर एवं थाना - पाकुड़, जिला- पाकुड़।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. जमशेद अंसारी, पुत्र - स्वर्गीय अजीज अंसारी, निवासी नयाटोला, हरिनडांगा, बाजार, डाकघर और थाना-पाकुड़, जिला-पाकुड़।

..... विपक्षीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री रोहन मजूमदार, अधिवक्ता
श्री निशांत कुमार रॉय, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री मनोज कुमार, जीए III
विपक्षी संख्या 2 की ओर से : श्री गौतम कुमार, अधिवक्ता
सुश्री सविता कुमारी, अधिवक्ता
सुश्री पुष्पांजलि कुमारी, अधिवक्ता

प्रस्तुत
माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनो पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 79/2021 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 295 (ए) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (1) (बी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है और उक्त मामला अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाकुड़ के समक्ष लंबित है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था जिसमें "मियां भाई" के खिलाफ कुछ शब्द लिखने के लिए कहा गया था। सूचक ने आरोप लगाया कि इस तरह के आपत्तिजनक और अश्लील ट्वीट से सूचक के समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और उसी के आधार पर, पाकुड़ टाउन थाना कांड संख्या 79/2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 188,295 (ए) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (1) (बी) के तहत दंडनीय अपराधों को शामिल किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है। याचिकाकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता है तथा जिला परिषद पाकुड़ का उपाध्यक्ष है तथा एक राजनीतिक दल से संबंधित है। यह मामला मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के कहने पर बरहेट विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया गया है; याचिकाकर्ता द्वारा 27.05.2021 को मुख्यमंत्री के उक्त प्रतिनिधि के विरुद्ध दर्ज कराए गए सनहा के प्रतिशोध में। आगे यह कहा गया कि सूचक प्रतिद्वंद्वी सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक कार्यकर्ता है तथा केवल राजनीतिक द्वेष तथा प्रतिशोध की रंजिश के कारण याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे यह कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा ट्वीट किए गए आरोपों को पूरी तरह से सत्य माना जाए तो भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध कानून के किसी दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है। अत: यह कहा गया कि इस आपराधिक विविध याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और दूसरी ओर विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 79/2021 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग रखने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष लंबित है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि ट्वीट में सूचक के धर्म के बारे में कोई स्पष्ट शब्द नहीं बताया गया है, लेकिन ट्वीट में व्यक्त शब्द निश्चित रूप से सूचक के धर्म का संकेत देते हैं और यह आपत्तिजनक प्रकृति का है। इसलिए, उस समय प्रचलित कोविड-19 निषेधात्मक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जिन अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, वे याचिकाकर्ता के खिलाफ बनते हैं और मामले की जांच अभी भी जारी है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज की जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद, जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व हैं: -

> (1) अभियुक्त ने भारत के किसी भी वर्ग के नागरिकों के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है या अपमान करने का प्रयास किया है, चाहे मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों या दृश्य चित्रण द्वारा या अन्यथा।
>
> (2) उक्त व्यक्ति ने ऐसा (क) जानबूझकर (ख) दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर नागरिकों के उक्त वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया है।

7. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को महेंद्र सिंह धोनी बनाम येरागुंटला श्यामसुंदर एवं अन्य (2017) 7 एससीसी 760 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के दायरे और प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला और यह देखा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए में दंडनीय हर चीज का प्रावधान नहीं है और ऐसा कोई भी कार्य जो नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने या अपमान करने का प्रयास करने के बराबर है, दंडनीय नहीं है। यह केवल नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करने या अपमान करने के उन प्रयासों के लिए दंडित करता है जो नागरिकों के उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए जाते हैं। अनजाने में या लापरवाही से या किसी जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए किए गए धर्म का अपमान भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के दायरे में नहीं आता है और भारत

के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने एआईआर 1957 एससी 620 में रिपोर्ट किए गए रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के प्रावधान केवल धर्म के अपमान के गंभीर रूप को दंडित करते हैं, जब यह नागरिकों के किसी विशेष वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जाता है। अपमान के उक्त गंभीर रूप की गणना की गई प्रवृत्ति और दंडात्मक परिणामों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने पर जोर दिया गया है।

8. अब, मामले के तथ्यों पर आते हैं, निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में एकमात्र शब्द का उपयोग किया है, जो सूचना देने वाले के अनुसार, उनके धर्म से संबंधित है, वह है "मियाँ भाई।" एफआईआर में ऐसा कोई कथन नहीं है और न ही विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील द्वारा कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत की जा सकी है कि "मियाँ भाई" का अर्थ मुस्लिम है। याचिकाकर्ता द्वारा "मियाँ भाई" को अपमानित करने के लिए कोई शब्द व्यक्त नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में, भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के दायरे और दायरे के बारे में कानून के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, यह न्यायालय इस विचार पर है कि भले ही याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सच माना जाता है, फिर भी याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है।

9. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:-

(1) एक आदेश की घोषणा की गई थी।

(2) ऐसी घोषणा एक लोक सेवक द्वारा की गई थी।

(3) लोक सेवक को घोषणा करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त किया गया था।

(4) घोषणा में कब्जे या प्रबंधन में कुछ संपत्ति के संबंध में कुछ चीजें न करने या कुछ आदेश न लेने का निर्देश दिया गया था।

(5) अभियुक्त को घोषणा के बारे में पता था।

(6) अभियुक्त ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है और ऐसी अवज्ञा किसी ऐसे व्यक्ति को बाधा, झुंझलाहट, चोट या उसी बाधा के जोखिम का कारण बनती है या बनने की प्रवृत्ति रखती है जो मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए विधिपूर्वक नियोजित है या बनने की प्रवृत्ति रखती है, या दंगा या दंगा पैदा करती है या बनने की प्रवृत्ति रखती है।

10. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, याचिकाकर्ता द्वारा कथित ट्वीट करने के लिए किसी भी आदेश के प्रचार और ऐसे किसी भी आदेश का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि भले ही याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पूरी तरह से सत्य माने जाएं, फिर भी याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है।

11. जहां तक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (1) (बी) के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 निम्नानुसार है: -

> 51. बाधा आदि के लिए दण्ड-(1) जो कोई, बिना उचित कारण के-
>
> (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को, या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत

किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निर्देशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या जीवन का आसन्न खतरा होता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अवलोकन से पता चलता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 में कोई उप-धारा (1) नहीं है। आपदा प्रबंधक अधिनियम, 2005 की धारा 51 (बी) में उस व्यक्ति के लिए दंड की परिकल्पना की गई है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है।

12. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-बी पृष्ठ-23 में, गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक को जारी एक पत्र संलग्न किया गया है। निर्विवाद रूप से, घटना झारखंड में हुई जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करने का कोई आरोप नहीं है। इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, भले ही याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पूरी तरह से सत्य माने जाएं, फिर भी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (1) (बी) के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनता है।

13. ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपित कोई अपराध नहीं बनता है, भले ही एफआईआर में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सत्य माना जाए; इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि तत्काल मामले की एफआईआर, याचिकाकर्ता पर प्रतिशोध लेने के एकमात्र उद्देश्य से दर्ज की गई है क्योंकि सूचक और याचिकाकर्ता के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है और हालांकि मामले की जांच 2021 से चल रही है, फिर भी यह अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो आरोपों की तुच्छता के बारे में भी संकेत देती है। इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि एफआईआर में लगाए गए आरोप, भले ही सत्य माने जाएं, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाते हैं, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

14. तदनुसार, पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 79/2021 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाकुड़ के समक्ष लंबित है, को याचिकाकर्ता के खिलाफ रद्द कर दिया जाता है।

15. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकृत की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची
दिनांक 08 अप्रैल, 2024 एएफआर/

अनिमेष-सरोज

यह अनुवाद ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।